

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ्रेशर/2021/54

दिनांक: 11 फरवरी, 2021

प्राचार्य,  
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय:- ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7(4) यु.जी.सी./अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नाम (सह/सहायक आचार्य) श्री/श्रीमती/ सुश्री/डॉ.	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1	संजय कुमार रायपुरिया	विधि	राज.पी.जी.विधि.महा. अलवर	रिफ्रेशर	04.03.2021 से 17.03.2021 तक	गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार
2	विजय कुमार बेनीवाल	विधि	राज.पी.जी.विधि.महा. अलवर	रिफ्रेशर	04.03.2021 से 17.03.2021 तक	गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार
3	मुकेश कुमार	विधि	राज.पी.जी.विधि.महा. अलवर	रिफ्रेशर	04.03.2021 से 17.03.2021 तक	गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार
4	मुन्नी अग्रवाल	ईएएफएम	राज.महा.डेगाना नागौर	रिफ्रेशर	30.01.2021 से 14.02.2021 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
5	राजेश कुमार मीणा	समाजशास्त्र	राज.महा.अजमेर	रिफ्रेशर	15.02.2021 से 01.03.2021 तक	तेजपुर विश्वविद्यालय आसाम
6	श्यामलाल उदेनिया	संस्कृत	राज.महा.डूंगरपुर	रिफ्रेशर	17.02.2021 से 02.03.2021 तक	कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
7	पंकज कुमार	कम्प्यूटर विज्ञान	राज.पी.जी.महा.जालोर	रिफ्रेशर	8.02.2021 से 13.02.2021 तक	गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें:-

- प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो
- संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

(डॉ. सौमित्र नाथ झा) 11/2/21  
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)